नम्बर न ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3/27/2022	22/12/2021	14.06.2022

बउनवान

1–प्रदीप कुमार पुत्र श्री भीमराज जाति माली उम्र करीव 41 साल निवासी गुलाव बाग, अलवर हाल निवासी मोहना वावा की प्याऊ के पास, वस स्टैण्ड, अलवर तहसील व जिला अलवर

––– प्रार्थी

बनाम

1राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, अलवर राज.
2तहसीलदार साहब अलवर तहसील व जिला अलवर राज.

––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू0राजस्व अधि0

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी खसरा नंबर 1570 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम अलवर नंबर एक तहसील व जिला अलवर प्रार्थी के पिता श्री भीमराज पुत्र श्री बक्सीराम केद कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । जिस आराजी में से 02 बीघा 07 बिस्वा आराजी मध्य रेलवे विभाग द्वारा अवाप्त करली और रेलवे विभाग के नाम दर्ज हो गई । शेष आराजी रकबा 08 बिस्वा पर प्रार्थी व उसकी माता श्रीमती मीरा देवी बेवा भीमराज काबिज काश्तकार खातेदार आज भी मौके पर है । आराजी खसरा नंबर 1570 में से प्रार्थी व उसकी माता मीरा देवी का रकबा 08 बिस्वा है । जिसका संवत 2051 से 2070 में हाल खसरा नंबर 1851 मिन 08 बिस्वा यानि 10 ऐयर अर्थात 0.10 हैक्टर कायम किया गया। सैटिलमेंट विभाग ने संवत 2051 से 2070 में खसरा नंबर 1851 मिन रकबा 08 बिस्वा यानि 10 ऐयर अर्थात् 0.10 हैक्टर का नक्शा मौके के विपरीत बना दिया। खसरा नंबर 1851 के उक्त रकबे में पानी का नला, जो उक्त रकबे के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, को गलत प्रकार से वर्तमान नक्शे में नला उक्त रकबे के तरफ उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शा दिया है, जो मौके के बिलकुल विपरीत है, मौके पर आज की तारीख में भी 10 फीट गहरा व करीब 835 फुट चौडा प्रवदिशामा नला पश्चिम दिशा से पीछे से निरंतर बहता हुआ चला आ रहा है। जो स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन नक्शे में मौके के विपरीत गलत जगह पर नला होना दिखाया है। जो दुरस्त किया जाकर मौके के अनुसार नक्शा बनाए जाने के आदेश दिए जाने आवश्यक व न्यायसंगत है। प्रार्थी को उक्त गलत अंकन नक्शे में होने की बाबत पूर्व में जानकारी नही थी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिर्पोट ली गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया कि हाल खसरा नम्बर 1851 रकवा 0.10 है0 मीरादेवी पत्नि भीमराज हि. 1/2 प्रदीप कुमार पुत्र भीमराज सरपरस्त माता खद हि.1/2 जाति माली सा0 गुलाब बाग अलवर के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि सैटलमैन्ट संवत 2051 में आ0ख0न0 हाल 1851 के तरफ तरफ दक्षिण में होना चाहिये था। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा, ख0न0 1851 के तरफ उत्तर या दक्षिण में किसी तरह का कोई नाला का अंकन नही है। संलग्न नजरी नक्शे अनुसार ख0न0 1851 के तरफ उत्तर में ख0न0 1849, तरफ पूर्व में ख0न0 1850, तरफ दक्षिण में ख0न01852 तरफ पश्चिम में ख0न01841/2648,1848 दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी आ0ख0न0 1849/0.04,1850/0.27 पूरणचन्द सैनी पुत्र हरपाल राम सैनी जाति माली हि0 पूर्ण, आ0ख0न0 1852/0.55 खेमचन्द गंगाराम वगै0 जाति माली , 1841/2648/0.12 एवं 1848/0.05 गै0मु0 रेल्वे दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के ख0न0 1851 से लगता कोई भी ख0न0 जिसकी किस्म नाला हो दर्ज रिकार्ड नहीं है। मौके पर आ0ख0न0 1851 के तरफ दक्षिण में नाला बना हुआ है लेकिन इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है, कि आराजी खसरा नम्बर 1851 में तरफ दक्षिण में पश्चिम से पूर्व को नालां होने पर मौके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही हाल नक्शे में संशोधन किया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर